# यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : दीपक मेहता, R.A.S.

**पत्रावली संख्या : 111/11 (प्रार्थना पत्र)**

प्रकरण दर्ज दिनांकः 13.05.2011 निर्णय दिनांक : 20.02.2019

अनवान्

1. मागीलाल मुतबन्ना रामा जी जाति जाट, निवासी लदाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थी.....

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमराज पिता गंगाराम जी जाति जाट, निवासी लदाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)।

2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज)

3.पटवार, पटवार हल्का वासनीकलां, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री चन्द्र पुरी गोस्वामी विपक्षी सं. 1

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

दिनांक : 15.02.2019

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी/प्रार्थी ने माननीय न्यायालय, आपमें एक वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर दिया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होकर उसमें दी वादी/प्रार्थी को पूर्ण सफलता मिलेगी।
2. यह कि राजस्व ग्राम लदाना पवार हल्का वासनीकला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) में निम्न आराजीयात स्थित है। आराजी नम्बर 429 रकबा 2 बीघा 8

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या एक के नाम पर अंकित है नकल जमाबंदी साथ संलग्न है।

3. यह कि रामाजी के केवल एक पुत्री मगनीबाई थी। स्वर्गीय रामाजी के कोई पुत्र संतान नही होने से स्वर्गीय रामा पिता रायचन्द जी जाट ने मुझ प्रार्थी को अपने जीवनकाल में मेरी 5 वर्ष ही आयु में मुझे समाज व गांव के मौतबरी व्यक्तियों की उपस्थिति में जाति रिति रिवाजानुसार व सामाजिक परम्परा अनुसार गोद ले लिया था और मुझ प्रार्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा भी स्वर्गस्थ रामाजी ने दिनांक 19.12.1974 को लिखाकर उसका जींजयन करा दिया। तब से मैं प्रार्थी स्वर्गीय रामाजी के साथ निवास करता आ रहा हूं और उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति पर भी मैं प्रार्थी ही एकमात्र दत्तक पुत्र होने से काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हुं। और स्वर्गीय रामाजी की उनके जीवनकाल में सेवा चाकरी, खना खुराक, दवाई वगैरा आदि सभी कार्य को भी मुझ प्रार्थी ने ही किया है और स्वर्गीय रामाजी के स्वर्गवास पश्चात् भी उनके समस्त कियाकर्म दत्तक पुत्र होने की हैसियत से सामाजिक रिति रिवाजानुसार व हिन्दु परम्परा के अनुसार किये है व सारा खर्चा मुझ प्रार्थी ने ही किया है। एवं वर्तमान में भी स्वर्गीय रामा जी के रिश्तेदारों के सामाजिक समारोह में दत्तक पुत्र की हैसियत से भाग लेता आ रहा हूं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित आराजी के पुराने आराजी नम्बर 111 रकबा 2.05 बीघा थे। भू प्रवन्ध सेटलमेंट विभाग का खसरा मिलान की फोटोप्रति साथ संलग्न है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित आराजी स्व. रामा जी वल्द रायचन्द जाट के नाम दर्ज थी उक्त कृषि भूमि राम जी के जीवनकाल से ही गत 37 वर्षों से प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही है। और में प्रार्थी ही उक्त कलम संख्या दो में वर्णित सम्पूर्ण आराजी पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं। लेकिन श्रीमती मगनी जो रामा जी की पुत्री थी ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर खातेदार स्व. रामा पिता रायचन्द के नाम दर्ज भूमि को अपने अकेले के नाम पर दर्ज करा दी जबकि उक्त कृषि भूमि मुझ प्राथी व विपक्षी सं. 2 के नाम पर भी अंकित होनी चाहिए थी क्योंकि मैं प्रार्थी स्व. रामा जी का दत्तक पुत्र हैं और मेहतावी स्वर्गीय रामा जी की पत्नी है। विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज की भूमि पर में प्रार्थी व मेहतावी काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं और आज भी हमारा ही कब्जा है। जिसमें विपक्षीगण सं. 1 का हक कोई हक दखल अधिकार कब्जा नही है। इसलिये उक्त कृषि भूमि को मैं प्रार्थी अपने व मेहतावी के नाम खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। जिसके लिये माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित आराजी को मगनीबाई पति केला जाट द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगन कर स्वर्गीय रामा जी के नाम की कृषि भूमि में अपने आप को अकेले रामा जी का वारिस बताते हुये भूमि नाम पर करा देने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से विपक्षी संख्या 1 को नुमाईशी विकय पत्र के आधार पर विकय

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

कर दी। जबकि मगनीबाई को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही था इसलिये मगनीबाई द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विक्रय मुझ प्रार्थी के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है। मगनीबाई का स्वर्गवास हो चुका है जिसके कोई वारिस जीवित नही है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित आराजी पर मैं प्रार्थी व मेहताबी अपने अपने हिस्सेनुसार भूमियों पर स्वर्गीय रामा जी के जीवनकाल से अर्थात् 37 वर्षों से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है और निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त कर रहे है जिसमें विपक्षी सं. 1 का कोई हक । अधिकार कब्जा भुगत भोग कुछ भी नही है और मैं प्राथी स्व.रामा जी का दत्तक पुत्र हूं और दत्तक पुत्र की हैसियत से मुझ प्राथी ने ही स्व. रामा जी के जीवनकाल में उनकी सेवा चाकरी की और उनके मरणोपरान्त उनका सामाजिक रितिरिवाजानुसार कियाकर्म किया और उनकी पगड़ी बांधी है और आज भी मैं प्रार्थी उनके रिश्तेदारों के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता आ रहा हूं। विपक्षी सं.1 का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है और न ही वर्तमान में है। मैं प्रार्थी व मेहताबीबाई ही स्व.रामाजी की खातेदारी की जमीन का उपयोग उपभोग कर रहे हैं इसलिये मैं प्रार्थी व मेहताबीबाई प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित भूमि को अपने नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की घोषणा कराने के अधिकारी है वैसे भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी धारा 63(1),(4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदार काश्तकार हो गये है। जिसके लिये वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।

8. यह कि मुझ प्राथी का प्राइमाफैसी कैस है। क्योंकि में प्राथी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित आराजी में अपने हिस्सेनुसार भूमि पर स्व.रामाजी के जीवनकाल से अर्थात गत 37 वर्षों से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है। और स्व. रामाजी के सभी धार्मिक कार्यक्रम भी मुझ प्रार्थी ने ही किये है। लेकिन मगनीबाई द्वारा राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर रव. रामा पिता रायचन्द के नाम की भूमि को अपने नाम पर दर्ज करा मुझ प्रार्थी को उक्त भूमि से वंचित करने की नियत से विपक्षी सं. 1 को नुमाईशी विक्रय पत्र से विक्रय कर दी। जिससे वर्तमान में उक्त कृषि भूमि विपक्षी सं.1 के नाम दर्ज है। और अब विपक्षी सं. 1 उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचने पर आमादा है और मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से बेदखल करना चाह रहा है। जिसका उसे कोई विधिक हक व अधिकार नही है। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख दो में वर्णित आराजीयात् का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करें, उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करें, मुझ प्रार्थी को बेदखल नही करे, न कब्जा करें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अगर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना

सहायक कलक्टर एवं

Scanned by CamScanner

असंभव होगा। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी संख्या 1 को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। सुविध संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है।

9. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित आराजी को विपक्षी संख्या एक किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे और मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, बेदखल नही करें, कब्जा नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। एवं विपक्षी संख्या 2 को पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1 उक्त आराजी के सम्बन्धित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद उसका पंजीयन नही करे और विपक्षी संख्या 3 ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनये रखें, किसी प्रकार का परिवर्तन राजस्व रेकार्ड में नही करें।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 एवं 3 औपचारिक पक्षकार होने से कोई जवाब पेश नही किया। विपक्षी संख्या 1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु जवाब पेश नही करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

11. अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में बताया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई है जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। वर्तमान में अप्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार है एवं कब्जा भी अप्रार्थी का है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें।

12. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित बिन्दुओ पर निम्नानुसार विवेचन है:–

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>:– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थना ग्रस्त भूमि मौजा लदाना, पटवार हल्का वासनीकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 429 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 खेमराज पिता गंगाराम जाट के नाम दर्ज है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 ने मगनी बाई पति केला जाट से जरिये विक्रय पत्र क्रय की है। चूंकि प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 तत्कालीन खातेदार से भूमि क्रय कर खातेदार बने है इसलिये सदभावी केता है। वर्तमान में उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार नही है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना ग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

में साबित नहीं होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति</u> :– विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थना ग्रस्त भूमि जरिये विक्रय पत्र के क्रय किया जाने से वर्तमान में खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना ग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना ग्रस्त भूमि पर कब्जा हो ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थना ग्रस्त भूमि मौजा लदाना, पटवार हल्का वासनीकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 429 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 खेमराज पिता गंगाराम जाट के नाम दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि तत्कालीन खातेदार से जिस विक्रय पत्र से क्रय की थी उसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। वर्तमान में उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना ग्रस्त भूमि पर कब्जा हो ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन भी खातेदार के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थी खातेदार नहीं होने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

## –: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner